सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 115/2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

रतनलाल पुत्र सुजान जाति खारोल निवासी कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर राज.

वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र हीरालाल जाति नाथ निवासी जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. कालू पुत्र सोकरण जाति खारोल निवासी ग्राम कुशायता तह.सावर जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

4. कजोडी पत्नि स्व. भूरालाल जाति खारोल
5. निर्मल पुत्र स्व. भूरालाल जाति खारोल
6. नीलू पुत्री स्व. भूरालाल जाति खारोल
7. शीला पुत्री स्व. भूरालाल जाति खारोल
   निवासीगण ग्राम कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर

प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू. राज. अधि.

निर्णय

दिनांकः– 7.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कुशायता में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वाद ग्रस्त भूमि वाके ग्राम कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता स. 266 में दर्ज खसरा नम्बर 1559 रकबा 0.10 है. किस्म बारानी 1 भूमि दर्ज सयुक्त खातेदारी है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी एवं प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजीयात है उक्त आराजी में काश्त कर रहे है। प्रतिवादी स. 1 व 2 वादी एवं प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण की आराजीयात के पडोसी है। तथा कैलाश पुत्र सुजान नाऔलाद फौत हो गया है। वादी एवं प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण ने अपनी उक्तवर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 23.6.2015 को श्रीमान तहसीलदार सावर के आदेश से करवाया गया परन्तु प्रतिवादी स. 1 लगायत 2 ने सीमा चिन्हो को मिटा दिया व बार बार सीमा चिन्हो को मिटा देते है। वादी व प्रफॉर्माप्रतिवादी की आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर उतारू है। उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाया है ं। प्रतिवादी स. 1व2 सीमाचिन्हो को मिटा देते है। वादी द्वारा पत्रावली में पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। आज केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कुशायता में वादी उपस्थित। तहसीलदार सावर द्वारा जवाब सरकार पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अतः वादी का वादपत्र वाके ग्राम कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता स. 266 में दर्ज खसरा नम्बर 1559 रकबा 0.10 है. भूमि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्ज खसरा नम्बर 1559 का अंकन किया गया जबकि संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी अनुसार खसरा नम्बर 1959 का अंकन है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1559 का संबंधित पत्रावली में कोई सरोकार नही होने से वादी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 7.6.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व निर्णय केम्प कोर्ट कुशायता में मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी